

I/296099/2023

संख्या-5/2023/ 77-1002(001)/1/2021/001-490

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,

उ० प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषय:- उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिल्सों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिल्सों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या- 6/2022/77-1002(001)/1/2021-528-77-1-2022 दिनांक 26.05.2022 द्वारा प्रथम किश्त रु० 1,45,56,000.00 (रु० एक करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के अनुसरण में उक्त अवशेष धनराशि में से शासनादेश संख्या- 14/2022/77-1002(001)/1/2021/001-1029 दिनांक 18.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रु० 1,45,56,000.00 (रु० एक करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/77-1002(001)/1/2021/001-1736 दिनांक 12.01.2023 द्वारा तृतीय किश्त रु० 1,45,56,000.00 (रु० एक करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल प्राविधानित धनराशि रु०

I/296099/2023

5,82,27,000.00 (रु0 पांच करोड बयासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) में से अवशेष **रु0 1,45,59,000** (रु0 एक करोड पैंतालीस लाख उनसठ हजार मात्र) चतुर्थ किश्त के रूप में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. **उ0प्र0** सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष **2022-23** में उक्त स्वीकृत धनराशि **रु0-1,45, 59,000** (रु0 एक करोड पैंतालीस लाख उनसठ हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, **उ0प्र0**, कानपुर द्वारा आहरित कर **उ0प्र0** सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर **14** प्रतिशत (**11.50+2.50**) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में **2.50** प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर **11.50** प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई वित्त न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान **5** (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वित्त होने पर निर्धारित **14** (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, **उ0प्र0**, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, **उ0प्र0** शासन के कार्यालय-जाप संख्या- **13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**, दिनांक **07.06.2022** एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
5. कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की **75** प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।
6. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, **उ0प्र0**, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
7. स्वीकृत धनराशि को दिनांक **31.03.2023** तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार,

I/296099/2023

उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजी जाए।

8. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ० प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।

9. उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ० प्र०, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

10. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

11. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

12. धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,45,59,000** (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक में अनुदान संख्या **007** लेखा शीर्षक **6860011900600** उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज मानक मद **30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-282-X-2022-23 दिनांक 30.03.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय),

अनु सचिव,

संख्या-5/2023/77-1002(001)/1/2021/001-490, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

I/296099/2023

1. महालेखाकार (प्रथम) उ 0 प्र 0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ 0 प्र 0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ 0 प्र 0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ 0 प्र 0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ 0 प्र 0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
6. सचिव/महाप्रबन्धक, उ 0 प्र 0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ 0 प्र 0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ 0 प्र 0 शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

Signed by रजनी कान्त

पाण्डेय

Date: 30-03-2023 13:31:28

Reason: Approved

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय),

अनु सचिव,